ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

# कोविड-19 और महिला श्रमिको का पलायन के दौरान संघर्ष

**खुशबू सिंह**
शोधार्थी, स्त्री अध्ययन विभाग,
महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा ,महाराष्ट्र

**शोध सार**

वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार ने वैश्विक आवादी को घरो में रहने को मजबूर कर दिया हैं, जिससे भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चल रही, समस्त मानवीय गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिवंधित कर, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रवासी महिला श्रमिको में देखने को मिला, जिसके कारण प्रावसी महिलाओं को शहरों से अपने गृहनगरो की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए, इस आलेख का उद्देश्य कोविद -19 महामारी के दौरान प्रवासी महिला श्रमिको की सामाजिक तथा आर्थिक अनुभवो को उन्ही की दृष्टिकोण से समझना, तथा उस पर प्रकाश डालना है। इस आलेख के माध्यम से रेखांकित किया गया हैं की, इस लॉकडाउन का एक मात्र उदेश्य अमूल्य मानवीय जीवन की रक्षा करना रहा हैं। इसलिए, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में जहाँ एक ओर लॉकडाउन निश्चित ही एक प्रभावकारी उपाय साबित होते दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी ओर इस वैश्विक संकट के दौर में प्रवासी महिलाओ के अजीविका पर गहरा असर होते हुए भी दिखाई दिया, साथ ही साथ, इस दौरान प्रवासियों के बीच बड़े पैमाने पर पलायन का संकट देखा गया। जिस में उन्हें अनेको कठिनाईयों का समना करना पड़ा, लॉकडाउन के वजह से महिलाओं पर दवाव बना और इसकी चपेट में पुरुषो के मुकाबले महिलाओं की तादाद ज्यादा रही जिससे सब से ज्यादा प्रवासी महिलायें और बच्चे प्रभावित होते दिखाई दिए। साथ ही इस बीमारी से लड़ने और प्रवासियों के लिए कियें गयें उपायों एवं सरकारी प्रयासो में भी हमें असमानता देखने को मिली, जिससे उनके मानसिक और शरीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। अगर सरकार द्वारा प्रवासी माहिलाओ को नीतिगत तौर पर आश्रय के लिए स्टेडियम, स्कूल ,सामुदायिक हॉल और खाने के लिए मुफ्त अनाज जैसे सुविधाएं प्रदान की होती तो उनकी हालत जाहिर तौर पर कुछ अच्छी होती।

**बीज शब्द** : कोविड-19, प्रवासी ,महिला ,जेंडर ,संघर्ष, श्रमिक I

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

## परिचय

कोरोना वायरस एक संक्रमित बिमारी हैं। जिसने महामारी का रूप लेलिया हैं।[1] इसका प्रकोप दिसंबर 2019 में मध्य चीन के बुहान शहर में हुआ। जब कुछ लोगो में इससे संक्रमित होने की ख़बर आई, और कुछ समय पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 11 मार्च 2020 को महमारी घोषित कर दिया, और 20मार्च 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, ईरान, इटली, जापान, ताइवान, भारत ,इराक और अन्य 160 देशों में पुष्टि के मामले सामने आए हैं। 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई और धीरे-धीरे इसका प्रकोप एक दर्जन से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो में महामारी घोषित किया गया। और शैक्षणिक संस्थानों और कई वाणिज्य संस्थानों को बंद कर दिया गया। साथ ही भारत ने सभी पर्यटक वीजा को भी निलंवित कर दिया हैं। क्योंकि , अधिकांश पुष्टि के मामले अन्य देशों से लौटे लोगो में पाए गए थे, और सरकार ने देश भर के 75 जिले में लॉकडाउन जारी किया। भारत ने 1990 के दशक से कई महामारियो के प्रकोप देखे हैं, जैसे कि सार्स का प्रकोप स्वाइन फ्लू का प्रकोप और कोरोना का प्रकोप लेकिन इनमे कोइ भी प्रकोप कोविड-19 जैसा व्यापक और घातक नहीं था।

कोविड- 19 महामरी हमारे समय के वैश्विक स्वास्थ्य संकट और विश्व युद्ध दो के बाद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा हैं। 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से तब तक बढाया गया था, जब तक 31 मई सख्त लॉकडाउन और अन्य उपायों को लागूं करना जिसमे शमिल है , कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बंद करना पड़ा, और भारत में एक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई। जिसके परिणामस्वरूप कई सामाजिक-आर्थिक संकटों को बढ़ाया और लाखो लोगो की आजीविका पर गहरा आघात हुआ, अनौपचारिक क्षेत्र विशेष रूप से प्रवासी श्रमको पर इसका गहरा असर हुआ कोविद-19 का परिणाम अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब महिलाओ के लिए एक दीर्घकालीन झटका रहा। अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अत्यधिक गरीबी और भोजन की कमी पहले से ही एक मुदा रहा हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान शहरों में काम कर रही महिलाओ और परिवारों के लिए निराशाजनक स्थिति रही (Azeez E P, Negi, Rani, & A P, 2021)। तत्पश्चात, इस आलेख का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी महिला श्रमिको की सामाजिक तथा आर्थिक अनुभव को उन्ही की दृष्टिकोण से समझना, तथा उस पर प्रकाश डालना है। यह आलेख छः खंडो में विभाजित हैं, यह आलेख परिचय के साथ शुरू होता है, द्वितीय खंड में तालाबंदी और आजीविका की चर्चा की गयी है। हाँलाकि, श्रमिक महिलाओं का पलायन और रोजगार में महिलाओ की स्थिति एवं प्रारूप की चर्चा तृतीय खंड में कि गयी है। वही चतुर्थ खंड में पलायन के दौरान महिला श्रमिको की दुर्दशा और महिला श्रमिकों के क्षत्रों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया हैं , साथ ही पंचम खंड में सरकार से मागें क्या थी,

[1] A pandemic is the worldwide spread of a new disease

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
ISSN : 3108-0294
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

उसका प्रयास किया गया हैं , साथ ही नीतिगत कारको की चर्चा पर जोर दिया गया है, तथा अंतिम में आलेख के निष्कर्ष के साथ चर्चा समाप्त की गई है।

**तालाबंदी (लॉकडाउन)**

लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता हैं, लॉकडाउन को एपीडमिक डीजीज एक्ट,1897 के तहत लागू किया जाता हैं, ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता हैं, इस अधिनियम का उपयोग किसी विकराल समस्या के दौरान होता हैं। जब राज्य या केंद्र सरकार को ऐ विश्वास हो की कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी हैं, तो सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से दूरी बनने के लिए इस अधिनियम को लागू किया जाता हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। अपने दिशा-निर्देश में सरकार ने शासकी आदेशो का पालन करना अनिवार्य बताया हैं। भारत में ऐसी आपत्तिजनक स्थिति के कारण ( सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनोमिक ) का हालिया सर्वे बताता हैं। की लॉकडाउन की वजह से भारत में कम से कम 12 से 13 करोड़ लोगो की नौकरिया जाने का सिलसिला जारी हैं। क्यों कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वायरस के तेज प्रकोप के वजह से व्यवसायिक संस्थानों में काम शुरू होता नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण घरेलू हिंसा में वद्धि देखी जा रही हैं।

***कोरोनाकाल में आजीविका की स्थिति***

आजीविका के बेहतर विकल्प उपलब्ध होने के कारण हर साल हजारो प्रवासी महिलाएं दुसरे राज्यों से महानगर दिल्ली,गुजरात, और गुरुग्राम आती हैं, इन क्षेत्रों में मजदूरी संभावित कमाई तुलनात्मक रूप से अधिक है (Lewis, 1954)।[2] कोविद-19 के प्रकोप और उनके बाद के अभूतपूर्ण लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरो के आजीविका विकल्पों को गंभीर रूप से प्रभवित किया हैं, जिससे लाखो प्रवासी महिलाओं को अपने परिवार के साथ पलायन करना पड़ा। 'द हिन्दू' द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण में कहाँ गया की 96% प्रवासी श्रमिको को सरकार द्वारा राशन नहीं मिला और उनमे से 90% को मजदूरी नहीं मिली कुछ महिलाओ का कहना हैं, की मजदूरी ,राशन ,कमरे का किराया न दे पाने के कारण पैदल घर चलने को मजबूर हैं (Engage, 2020)।[3] वायरस के अचानक हमले से रोज़गार का नुकसान और बड़े पैमाने पर दहशत फैली जिसके परिणामस्वरूप बिना भोजन के घर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कोविद-19 से लगभग सभी वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पडा हैं, हालांकि प्रवासी महिला मजदूरों सहित समाज के वंचित वर्गों जिन्हें महामारी ने गरीव बना दिया हैं, तथा तालाबंदी की अचानक घोषणा ने समाज के सामजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन में एक शून्य पैदा कर दिया हैं।

---

[2] The dual-sector **model** is a **model** in development economics. **Lewis model** between two sectors, the capitalist sector and the subsistence sector.

[3] Economic and political weekly

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

उन्हें आय के किसी अन्य व्यवसायिक स्रोत के अभाव में सरकार से सक्रीय समर्थन की उम्मीद थी समर्थन की कमी भावनात्मक व्याख्यनो में स्पष्ट हैं, कोविद-19 के दौरान प्रवासी महिला मजदूर अपने गृहनगर की ओर पलायन किए और उन्हें अपनी नौकरी से भी सेवा मुफ्त होना पड़ा। जिसकी वजह से ग्रामीण तबके की महिलाओं पर अत्यधिक संकट आया, जिन महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी स्व नियोजित कार्य में लगाया लेकिन उनकी आय पहले जैसी नही रही कुछ महिलाएं तो कोविद-19 के दौरान अपना घर चलाने के लिए सीमित सम्पति जैसे- छोटे जानवर गहने यहाँ तक अपने घर के उपकरण भी बेचने पड़े, जिसकी वजह से भविष्य में गंभीर रूप से आर्थिक स्थिति के गहरे संकट में उन्हें डाल दिया गया। संसाधनों की कमी और आजीविका के नुकसान ने कई परिवारों को भोजन पर खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर किया। इसका सबसे कमजोर प्रभाव बच्चो के स्वास्थ्य की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कोविद-19 संकट भूख को और अधिक जटिल बना रहा हैं,और अनुमान हैं कि 26.5 मिलियन 2020 के अंत तक तीव्र भूख का सामना करना पड़ा। अनिश्चितता के संक्रमित होने की उच्च सम्भावना और दरिद्रता के करण प्रावसी श्रमिको का मामला और भी जटिल हैं, क्यों कि झुग्गियों में सामाजिक दूरी बनाए रखना मुश्किल हैं शहरी बस्तियों में जीवन उन्हें चिंताओ और चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील बनता हैं।

**श्रमिक महिलाओं का पलायन**

प्रवासन का सामान्य अर्थ हैं, लोगो का नए क्षेत्र या देश में रोजी –रोटी या बेहतर रहन-सहन के लिए गमनागमन भारत में आतंरिक प्रवास दो प्रकार का हैं दीर्घकालीन पलायन जिसमे व्यक्ति या परिवार किसी दूसरी जगह बस जाता हैं। अल्पकालीन पलायन या मौसमी पलायन जिसमे मूल स्थान के बीच आना जाना होता रहता हैं। एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने पर जगह में वदलाव के साथ-साथ दूसरें कई आर्थीक ,सामाजिक ,भावनात्मक बदलाव भी आते हैं, जिनके कारण व्यक्ति को अपनी मान्यताओ विचारो और द्रष्टिकोण में बदलाव देखने को मिलता हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने प्रवासी महिलाओं की नौकरियो और आजीविका के नुकसान ने न केवल उन्हें संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया, बल्कि देशों में कई परिवार जो अपने प्रेषण पर निर्भर थी अपनी आर्थिक जीवनरेखा खो चुकी कई महिलाएं अपनी सामाजिक सुरक्षा और कमाई को खोने के कारण अपनी मूल देश वापस जाने के लिए मजबूर हो गई। 14 सितम्बर 2020 को श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा की राज्य सरकार से एकत्र की गई जानकारी से संकेत मिलता हैं की अनुमानित 10 मिलियन प्रवासियों ने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप घर लौटने का प्रयास किया (Azeez E P et al., 2021; Irudaya Rajan, Sivakumar, & Srinivasan, 2020)।

तालाबंदी के बीच पंजाब से उत्तर-प्रदेश के महोवा जिले जा रही। प्रवासी महिला श्रमिक के साथ जा रहा बच्चा इतना थक गया। की, वह चलते हुये ट्राली बैग पर ही सो गया ,और उसकी वेवस माँ रस्सी से ट्राली बैग को खिचती आगे बढती रही उसी प्रकार दुर्गादास तेलंगान में काम करते थे, लॉकडाउन होने से अपने गाँव विहार जाने के लिए पैदल

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

निकल पड़े, और उनके साथ 75 और लोग हैं, जो छतीसगढ़ के जंगलो से हो कर 350 किलोमीटर चल कर सुकमा जिले पहुचे उनका कहना हैं, की कई महिलाओं और बच्चो ने रास्ते में दम तोड़ दिया, और कई माँओं ने सड़क पर बच्चो को जन्म भी दिया, तो कई बच्चो की सड़क पर चलते-चलते तो कुछ दुधंमुहे बच्चो की मौते माँ की गोद में हो गईं। प्रवासी महिलाओं का कहना हैं, की रस्ते में कई जगहों पर पुलिसप्रसाशन की ओर से उत्पीडन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के ठीक बाद देश भर से प्रशासन की और से प्रवासी कामगारों के साथ अमानवीय व्यवहार की तमाम घटनाए सामने आई हैं, रस्ते में किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं श्रमिक महिलाओं के इस भयानक दौर के हम सभी गवाह रहे हैं ,साथ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी और उनके बच्चो की तकलीफ घर-घर पहुची हैं(Wheare, 1951) |

पहले दिन से ही यह देखा जा सकता हैं , सरकार की प्रावसी अथवा निवासी मजदूरो के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, यह जानते हुए भी की देश की 90 प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में हैं , वह उनसे सम्बन्धित सूचनाओ और योजनाओं के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। मजदूरों की दुर्दशा के ये साक्षात द्रश्य प्रमाण हैं, कि देश की “5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था” में उनका पसीना ही शामिल हैं ,वे इस अर्थव्यवस्था के हिस्सेदार नहीं हैं। असंगठित-संगठित क्षेत्र के इन मजदूरों के अलावा सीमांत किसानों अर्ध-पूर्ण बेरोजगारी की भी लगभग वही स्थिति हैं।

***रोजगार और अंतिरक प्रवजन में माहिलाओ की स्थिति एवं प्रारूप***

आकृति-1, इस में दिखाया गया हैं की, महिलाओ की भागीदारी रोजगार में बहुत कम है, और समय के साथ इस में गिरावट आई है, तथा, महिलाओ की भागीदारी शहरों में तो और भी कम है। तथा इन्ही शहरीय महिलाओ को प्रवाजन के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि , यही महिलाए अधिकांशत हाँशिए के वर्ग से आती हैं। भारत का संविधान (अनु-19) सभी नागरिको को भारत की सीमा में पूरी आजादी से आने-जाने व भारत की सीमा के किसी भी भाग में रहने तथा बसने का अधिकार देता हैं (Bhandare, 2020; Foley & Piper, 2020)। तथा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 विलियन हैं ,और आंतिरिक पलायन करने वाले में से 53.2 प्रतिशत महिलाए हैं। (आकृति-2)। प्रवासी मजदूर एक समान श्रेणी के नहीं होते। वे लिंग ,वर्ग ,प्रजातीयता ,भाषा व धर्म के आधार पर बटे होते हैं। पलायन करने वाले में महिलाएं व बच्चे सबसे अद्रश्य व संवेदनशील समूहों में होते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास करने वाली आबादी 309 मिलियन या आबादी का 30 प्रतिशत (जनगणना 2001) आंतिरिक प्रवासी हैं, तथा, अधिकांश अल्पकालीन पलायनकर्ता सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे-अनुसूचित, जनजाति के होते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धियां न्यूनतम व उनकी संपत्ति सिमित होती हैं, तथा उनके पास संसाधनों का अभाव होता हैं (Irudaya Rajan et al., 2020)। ग्रामीण तथा शहरी,दोनों ही क्षेत्रों में स्त्रियों के पलायन का मुख्य कारण विवाह बताया जाता हैं,हाला कि

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण ,ग्रामीण तथा शहरी, दोनों ही इलाको में रोजगार से जुडा बताया जाता हैं (Foley & Piper, 2020)।

***आकृति-1:भारत में क्षेत्रों और लिंग के आधार पर श्रमबल की भागीदारी (मिलियन में)***

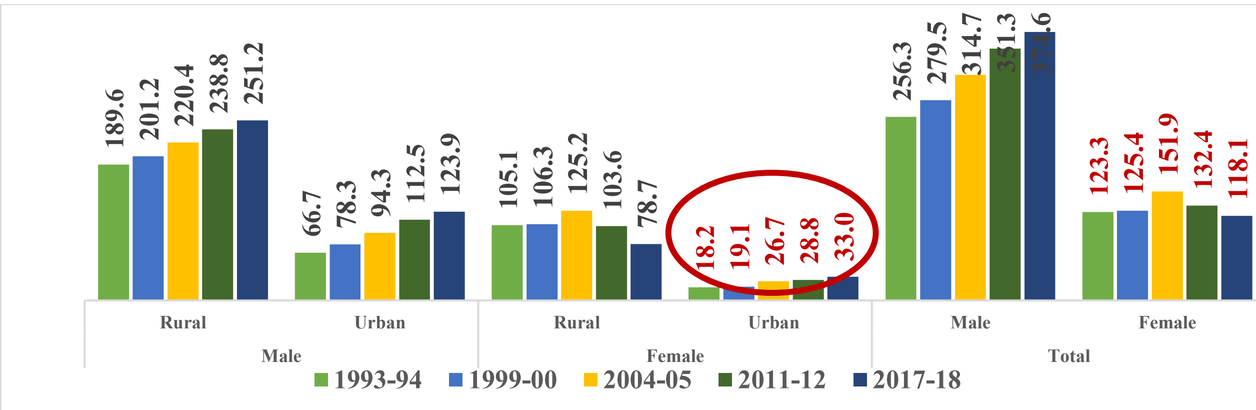


***Source:*** *50nd round EUS (1993/94) to PLFS (2017/18) of NSSO, Government of India.*

यह प्रवासन मुख्यः उत्तर प्रदेश, बिहार ,राजस्थान ,उड़ीसा ,मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ ,उत्तराखंड ,राजस्थान ,तथा तमिलनाडु राज्य से होता है, (Foley & Piper, 2020)। यदपि, स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर भारत में तकरीवन 15 करोंड़ बच्चे भी पलायन करते हैं।

***आकृति-2: भारत में आतंरिक प्रवास और लिंग प्रतिरूप***

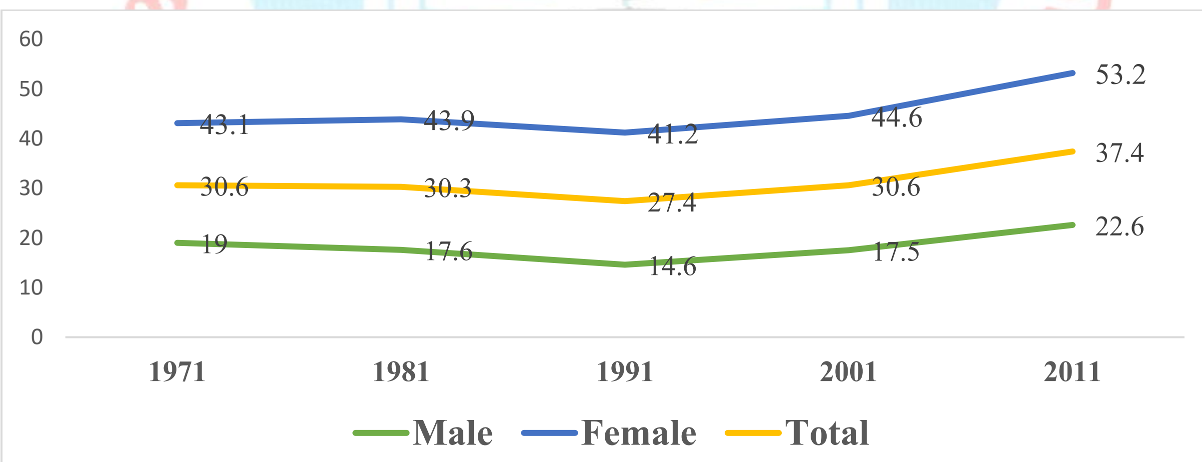


*Source: Mahapatro, Sandhya Rani. 2020. Internal Migration: Emerging Patterns.*

**पलायन के दौरान महिला श्रमिको की दुर्दशा**

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
ISSN : 3108-0294
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

आजीविका के नुकसान से उत्पन्न आर्थिक संकट ने प्रवासीयों को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समझौता करने के लिए मजबूर किया। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुए पलायन की उन भयानक तस्वीरों को कैसे भूल सकते हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगे लॉकडाउन के बाद पिछले साल देश ने आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया। जिसमे असंगठित क्षेत्रौं में काम करने वाले हजारो दैनिक मजदूर बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं। क्यों की उनके पास कोई विकल्प नही हैं। हालांकि, उनका भविष्य वहा भी निराशाजनक हैं ,सार्वजनिक परिवहन का कोई साधन न होने की वजह से ज्यादातर श्रमिक पैदल रवाना हो गए ,रास्तें में डरे सहमे भूखे और हताश ये प्रवासी श्रमिक खुद को अपनी सरकारों की ओर से पूरी तरह बदहाल छोड़ दिया मह्सूस कर रहे हैं।

अपने परिवार और बच्चो के साथ थोड़े-बहुत सामान के साथ बिना चप्पले पहने सड़को पर पैदल चलते लोगो के हुजूम का दृश्य दुनिया भर में देखा गया। भूख-प्यास और थकान से जब इनका शरीर थक कर चूर हो जाता हैं, तो ये वही सड़क किनारे सो जाते हैं,सो कर उठते हैं,और फिर सफर तैय करने लगते हैं। जिन मजदूरों ने सबके घर बनाए उनका कोई घर नहीं ,जिन महिलाओं ने दुसरे के घरो में रोटियां बनाई उनको खाने की रोटियां नही, पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों में कोई सड़क हादसे में अपनी जान गवा रहे हैं, तो कोई भूख और थकान से दम तोड़ रहा हैं, तो कई प्रवासी गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रही हैं, तो कोई बीच रस्ते में बच्चो को जन्म दे रहा हैं इसके साथ ही पता चला की कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को कितना लाचार और कमजोर रूप में देखा और महसूस, किया। (Patil, 2021)।

***प्रवासी महिलाओ का श्रमिक क्षेत्र***

हर वर्ष लाखों प्रवासी महिलाएं छोटे शहरों से रोजगार के उदेश्य से महानगरो में पलायन करती हैं। जिस में अत्यधिक महिलाएं दलित ,आदिवासीय ,अतिपिछडीजातीय एवं गरीब वर्ग से आती हैं, जिनका रोजगार घरेलूकामगार ,सफाई, कपड़ाउद्योग ,ईट-भट्टे ,खान खदान इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। जैसे-स्वास्थ्य संबंधी खतरे ,यौन उत्पीड़न,अतिरिक्त कार्य कम वेतन ,मौलिक अधिकारों का हनन, इन कठिनाइयों के साथ असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को अपनी आजीविका खोने का डर हर वक्त रहता हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान उनके रोजगार पर गहरा असर हुआ, पहले से ही असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती हैं। जहाँ उन्हें अन्य सुबिधाओ के वगैर कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता हैं। अपेक्षाकृत कम कौंशल वाली महिला प्रावासियो को तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कामों में लगा दिया जाता हैं। सिविड़ेप के अध्ययन के अनुसार बेंगलुरु के कपड़ा उद्योगों में काम करने वाली 90 प्रतिशत महिलाएं श्वास समस्याओं, तपेदिक, अवसाद तथा कमर दर्द जैसे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझती रहती हैं। (Bhandare, 2020)। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

श्रमिक संघ द्वारा जारी अनुमान के अनुसार अगले तीन महीनों में वैश्विक रूप से लगभग 200 मिलियन कामगारों को नौकरी गंवानी पड़ेगी और बहुत से उन क्षेत्र से हैं,जहाँ महिलाओं की भागीदारी अधिक हैं,

रोजगार में कमी के कारण आय में कटौती साथ सभी संस्थान बंद होने के कारण माहिलाओं पर देखभाल की जिम्मेदारिय बढ़ गई, साथ पुरुषो को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी होने के बाद बुनियादी भोजन और संसाधन की कमी महिलाओं के लिए बुनियादी गरिमा सहित एक मुद्दा बन गया हैं। भोजन की असुरक्षा कुपोषण का खतरा प्रवासी महिलाओं और उनके बच्चो के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं, हालांकि गैर-सरकारी सगंठनो और अनौपचारिक नेटवर्क (महिला और प्रवासी संगठनों सहित ) ने खाद्य बैंक और अन्य योजनाओं को रोल आउट किया। प्रवासी महिलाओं की नौकरियां और आजीविका के नुकसान ने न केवल उन्हें संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया , वल्कि मूल देशों में कई परिवार ,जो अपने प्रेषण पर निर्भर थी,अपनी आर्थिक 'जीवनरेखा खो चुकी ,कई महिलाएं आपनी सामाजिक सुरक्षा और कमाई खोने के कारण अपने मूल देश वापस जाने के लिए मजवूर हो गई । यह न केवल कई परिवारों को वल्कि पूरे देशों की, जीडीपी को प्रभावित करने वाला एक 'डोमिनो प्रभाव' पैदा कर रहा हैं (Foley & Piper, 2020)।

**सरकार से महिला संगठनों की मांग**

कई महिला अधिकार संगठनो ने प्रधानमंत्री को भेजे एक पत्र में महिलाओं के लिए तत्काल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ऐलान करने का अनुरोध किया हैं, इन संगठनो ने दैनिक मजदूर ,असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों को भी इन योजनाओं में शामिल करने को कहा हैं, (ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन एसोसिएशन ) समेत 8 संगठन इस में शामिल हैं। उन्होंने कोरोना और उसकी वजह से जारी लंवे लॉकडाउन के चलते महिलाओं के सामने पैदा होने वाली मुश्किलों पर गहरी चिंता जताई हैं और पत्र में कहा गया हैं। की विशेष रूप उन महिलाओं पर ध्यान देने की जरूरत जो महिलाएं अकेली महिला हो ,विधवा हो ,दैनिक मजदूरी करने या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली और ऐसे परिवारों जिनकी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथो में हैं। सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिली हैं। उनके सामने कामकाज के दोहरे बोझ के साथ ही वित्तीय संकट भी हैं। साथ ही इस पत्र में महिलाओं को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता देने की अपील की गई हैं। महिला कार्यकर्ता सुचित्रा कहती हैं। ''युद्ध या दैवीय आपदाओ में महिलाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं, कोरोना के कारण जारी यह लम्बा लॉकडाउन ऐसी तमाम आपदाओ पर भारी साबित हो रहा हैं। गावं ,शहर गृहणी या कामकाजी कोइ भी महिला इससे सुरक्षित नहीं हैं ,मौजूदा हालात में सरकार को इस आधी आवादी की सेहत और सुरक्षा पर ध्यान देना अत्यन्त जरुरी हैं। साथ ही वियतनाम की 'वी द

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

वीमेन' नामक योजना से बहुत कुछ सिखा भी जा सकता हैं। जैसे की केरल राज्य लगभग 3 करोड़ महिला प्रवासी कामगारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधांए एवं बिमा प्रदान करता हैं। इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रवासियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सकती हैं, जो विशष तौर पर महिला प्रवासियों की मुश्किलों पर ध्यान दे, और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करे। प्रवासियो के राजनैतिक समावेश से नगरिय प्रशासन को अधिक प्रजातांत्रिक और लैगिक रूप से समान बनाया जा सकेगा।

***सरकार द्वारा नीतिगत क्या उपाय कियें जा सकते थे ?***

प्रवासियों के लिए आश्रय **:** प्रवासी श्रमिको को अस्थाई रूप से आश्रय प्रदान करने के लिए स्टेडियम ,स्कूल ,सामुदायिक हॉल आदि उपलब्ध करने चाहिए थे ,सामुदायिक फैलाव के जोखिम को रोकने के लिए साबुन और हाथ धोने की सुबिधाए प्रदान की होती तो शायद प्रवासियो की हालत कुछ अच्छी होती।

प्रवासी श्रमिको का उत्पीड़न न हो : सभी राज्यों में पुलिस को सख्त निर्देश दिए। जाने चाहिए की वे शहरों में फंसे प्रवासी श्रमिको का उत्पीड़न उनसे मारपीट न करे। पैसे न मागें और जो करे उसके खिलाफ कारवाई की जाती तो पलायन महिला श्रमिकों की स्थिति जाहिर रूप से कुछ अच्छी होती।

सभी के लिए सामुदायिक रसोईघर: कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता जिसमें से कई इस वक्त काम से बाहर हैं ,या घर लौट रहे हैं या रोजगार के बिना शहरों में फंस गए हैं। ऐसें लोंगो को भोजन और आश्रय की आवश्यकता थी, भोजन के लिए केंद्र सरकार (एफ सी आई) से मुफ्त अनाज और दाल की आपूर्ति कर सकती थी प्रवासी इसका इस्तेमाल आमुदायिक रसोई (जैसेः तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और झारखण्ड में दाल-भात केंद्र चला सकते थे। इसी प्रकार प्रभावित लोगो के लिए नए सामुदायिक रसोईघर स्थापित करने हेतु रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और ग्रामीण इलाको में ब्लॉक मुख्यालयों को लक्षित करने की आवश्यकता थी। प्रवासीओ के लिए ऐसें केंद्र अत्यधिक जरुरी थे। जहाँ प्रवेश विनियमित किया जाए (एक समय में 15-20) या पिक-अप के लिए भोजन के पैकेट प्रदान करने चाहिए थे। जिससे स्थिति कुछ सही हो सकती थी।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण : शहरों में लॉकडाउन होने के साथ ,घबराहट में की जाने वाली खरीद और जमाखोरी को कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओ को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। उदाहरण- के लिए ,दिल्ली में ,जो सफल दुकानों का उपयोग किया जा सकता था इसी प्रकार अन्य व्यवस्था की जा सकती थी। जिससे बेरोजगार व्यक्तियों की मदत हो सकती थी।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
ISSN : 3108-0294
खंड-2, अंक-1, अप्रैल-सितंबर, 2026, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

**निष्कर्ष**

इस अध्यन का मुख्य योगदान भारत में कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासी महिला श्रमिको की परिस्थिति के मुदे को रेखांकित करने के साथ ही उसकी व्यथा को समझना हैं। क्यों, आवादी के कमजोर वर्ग महामारी से असमान रूप से प्रभावित हुए और कैसे उनकी आजीविका पर इतना गहरा असर हुआ हैं। भारत जैसे देशो में प्रवासी कामगारो का मामला हमेशा ही एक गंभीर चिंता का विषय रहा है, जो इस आनियोजित लॉकडाउन और उसके बाद के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संकट के रूप में तबदील हो गया। हम सभी को मीडिया के माध्यम से पता है, प्रवासी महिला श्रमिको को पलायन के दौरान होने वाले संकटो और उत्पीड़न को कैसे नजरअंदाज किया गया हैं। जिससे उन्हें अनेको कठिनाई का सामना करना पडा हैं। हालांकि, स्थाई शहरी अर्थव्यवस्था के लिए प्रवासी महिला श्रमिको के कार्य को केन्द्रीय माना जाना चाहिए। और सरकार द्वारा उनको  कम से कम खाने, रहने की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, जो की उनका मानवाधिकार भी है। जिससे उनको कुछ आसानी होती, और संकट एवं अमनवियता का अहसास उन्हें थोडा कम होता, साथ ही साथ वह अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती। इसी के साथ भविष्य में अब, इस लॉकडाउन की वजह से इन, प्रवासी महिला श्रमिको के लिए आजीविका का संकट और भी गहरा गया है, और उनके सामने आर्थिक कर्ज लेने की स्थिति भी आ गयी हैं। इसलिए, सरकार को आगे आ कर इन महिलाओ के लिए एक कारगर नीति बनना  चाहिए, जिसकी  वजह से ये मुख्या धारा में वापस आ सके।

**सन्दर्भ सूची**

1. Azeez, E. P. A., Negi, D. P., Rani, A., & A. P., S. K. (2021). The impact of COVID-19 on migrant women workers in India. *Eurasian Geography and Economics, 62*(1), 93–112. https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1843513
2. Bhandare, N. (2020). Covid impact: Women workforce disappearing, most affected in urban India. *Business Standard*. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/covid-impact-women-workforce-disappearing-most-affected-in-urban-india-120121500259_1.html
3. Engage, E. P. W. (2020). *COVID-19: Examining the impact of lockdown in India*.
4. Foley, L., & Piper, N. (2020). *COVID-19 and women migrant workers: Impacts and implications*. International Organization for Migration. https://www.iom.int

5. Irudaya Rajan, S., Sivakumar, P., & Srinivasan, A. (2020). The COVID-19 pandemic and internal labour migration in India: A 'crisis of mobility'. *Indian Journal of Labour Economics, 63*(4), 1021–1039. https://doi.org/10.1007/s41027-020-00293-8
6. Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*.
7. Nations, U. (n.d.). *Hkkjr esa vkarfjd çokfl ; ksa ds csgrj lekos ' k gsrq Hkkjr esa vkarfjd çolu igy uhfr lkj*.
8. Patil, S. M. (2021). Gender equity and COVID-19: Dalit standpoints. *Economic and Political Weekly, 56*(11).
9. Wheare, K. C. (1951). The Constitution of India. *International Affairs, 27*. https://doi.org/10.2307/2608678